तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **निधी गहलोत व अन्य** बनाम **गंगादेवी व अन्य** प्रार्थना पत्र सं0 14/2022 अन्तर्गत धारा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.07.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थीया व अप्रार्थीपक्ष–1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के वाक्यात इस प्रकार है कि ग्राम सालावास के ख.नं. 54/10 के बाबत् प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थीया गंगादेवी पत्नी मोतीराम जाट निवासी थोरियों की ढाणी, पाल रोड़ जोधपुर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र सं0 81/2020 अन्तर्गत धारा 183, 188, 92–क व 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवान निधी गहलोत बनाम गंगादेवी व अन्य उपखण्ड अधिकारी लूणी न्यायालय के समक्ष किया, जो विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में यह भी बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी लूणी पर राजनैतिक दबाव का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण व अन्य लोगों के द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष पूर्व में राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए है जो विचाराधीन होना बताया गया। प्रार्थना पत्र में आगे कहा कि पीठासीन अधिकारी ने मौखिक कह दिया कि राजनैतिक दबाव के कारण प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करेगें। प्रार्थीया व अप्रार्थीया–1 जोधपुर के ही निवासी है तथा प्रकरण को स्थानान्तरण करने पर किसी भी पक्षकार को हानि नहीं होगी। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रकरण जोधपुर में किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की गई। प्रार्थीया ने बहस में बतलाया कि वो व उसके पति पेशे से डाक्टर है तथा उपखण्ड अधिकारी लूणी पर राजनैतिक दबाव में होने से इन प्रकरणों में सुनवाई के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है पक्षकारान को आने जाने में परेशानी होती है। बहस में यह भी कहा कि अप्रार्थी गंगादेवी एवं लगातार...	

05.07.2022

प्रार्थीया भी जोधपुर में निवास करने से किसी पक्षकार को असुविधा भी नहीं होगी तथा न्यायहित में प्रकरण जोधपुर में ही किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाय।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण सं0 81/2020 अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार को हर पेशी पर जाना अनिवार्य नहीं है तथा यह प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर स्वीकार करने योग्य नहीं है कि पक्षकार को आने जाने में परेशानी हो रही है। अतः यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही जाने के बावजूद आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी गंगादेवी दोनों जोधपुर के निवासी भी है तथा उपखण्ड अधिकारी लूणी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया गंगादेवी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे से हटाकर प्रार्थीया को कब्जा दिलाने का मुख्यरूप से अनुतोष दिया जाना है तथा प्रकरण दायर होने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी लूणी न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई, पीठासीन अधिकारी ने कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट भी इस न्यायालय में प्रेषित नहीं की है अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थीया का कथन मानने योग्य है कि उसे उपखण्ड अधिकारी लूणी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है। न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी लूणी न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण सं0 81/2020 बअनवान निधी गहलोत बनाम गंगादेवी व अन्य को अग्रिम सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) न्यायालय को स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जाते है। उपखण्ड अधिकारी लूणी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण तुरन्त उपखण्ड अधिकारी जोधपुर(दक्षिण) न्यायालय को स्थानान्तरित करते हुए प्रेषित करे। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

लगातार...

05.07.2022	(दक्षिण) को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की विधिवत सुनवाई करते हुए विधिसम्मतः निस्तारण करे। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	